(144)

न्यायालय श्रीमान राजव मण्डल ग्वालियर लिंक कोर्ट रीवा जिला

रीवा म0प्र0 R. 5207-दो/16

हीरालाल सिंह पिता रामप्रताप सिंह ग्राम जमोड़ी सेगरान तहसील गोपद बनास जिला सीधी म0प्र0 ....निगरानीकर्ता

बनाम

1. विवेक सिंह पिता आनन्द बहादुर सिह ग्राम करौदिया उत्तर टोला तहसील गोपद बनास जिला सीधी म0प्र0

2. म0प्र0 राज्य ....आवेदकगण

श्री विवेक शर्मा एड० द्वारा पेश किया गया / 7-5-16

7-5-16

क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय सम्भाग रीवा के प्रकरण क0 77 निगरानी 2011–16 मे पारित आदेश दिनांक 09/03/2016 एवं न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय सीधी के प्रकरण क0 55/निगरानी/07–08 में पारित आदेश दिनांक 10/07/09 के संबंध में।

निगरानी अंतर्गत धारा 50 एम.पी.एल. आर.सी. 1959

मान्यवर,

निवेदन है कि निगरानीकर्ता की ओर से निम्नलिखित आधारो पर निगरानी प्रस्तुत है:–

प्रकरण के सूक्ष्म तथ्य

1. यह कि ग्राम जमोड़ी सेगरान तहसील गोपद बनास जिला सीधी म0प्र0 की पुरानी आराज क0 209/2 अधिकार

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक 5207–दो / 16 निगरानी   जिला – सीधी

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-01-17	अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 77 / 20011–12 निगरानी में पारित आदेश दिनॉक 9–3–16 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत आवेदक ने यह निगरानी प्रस्तुत की है। आवेदक के अभिभाषक ने पूर्व पेशी पर व्यक्त किया है कि निगरानी मेमो के तथ्यों के आधार पर मामला निराकृत किया जाय। 2/ निगरानी मेमो में वर्णित तथ्यों एंव अभिलेख के अवलोकन पर परिलक्षित है कि तहसीलदार गोपद बनास व्दारा प्रकरण कमांक 39 अ–74 / 99–2000 में पारित आदेश दिनांक 30–1–2001 से भूमि बन्टन किया है जिसके विरूद्व अनावेदक क–1 ने अपर कलेक्टर सीधी के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की है एंव अपर कलेक्टर ने निगरानी प्रकरण कमांक 55 / 2007–08 में पारित आदेश दिनांक 10–7–09 से तहसीलदार के भूमि बन्टन आदेश दिनांक 30–1–01 को निरस्त किया है जिसके विरूद्व अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के यहां निगरानी प्रस्तुत हुई है एंव अपर आयुक्त व्दारा प्रकरण कमांक 77 / 20011–12 निगरानी में पारित आदेश दिनॉक 9–3–16 से निगरानी निरस्त की है इसी आदेश के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत आवेदक ने निगरानी प्रस्तुत की है। 3/ तहसील न्यायालय में मामला भूमि बन्टन का होकर राजस्व पुस्तक परिपत्र चार–3 के अंतर्गत निराकृत हुआ है एंव अपर कलेक्टर सीधी के समक्ष राजस्व पुस्तक परिपत्र चार–3 की कंडिका 30 के अंतर्गत निगरानी विचाराधीन हुई है तब राजस्व मण्डल में मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत निगरानी प्रचलन–योग्य नहीं होने से अमान्य की जाती है। सदस्य	